

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0- 700539/2016संस्थित दिनांक-02.09.2016

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. रामसिंह उर्फ रामचंद्र उर्फ रामू पुत्र भगवानसिंह तोमर उम्र 45 साल

2. संदीप पुत्र रामचंद्र उर्फ रामसिंह तोमर उम्र 21 साल

निवासीगण ग्राम नेपालसिंह का चक् थाना गोहद चौराहा

जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 23.11.17 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 323, 504 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 01.08.16 को करीब 07:00 बजे आरक्षी केंद्र गोहद चौराहा पर स्थित नेपालसिंह का चक् नामक स्थान पर आहत विद्याराम को उपहति कारित करने के आशय से उसकी लात-घूसों व दण्डों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की एवं इस आशय से या जानते हुए गालियों दी जिससे वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करे अथवा अन्य कोई अपराध कारित करे।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय व स्वीकृत है कि आहत रामवरन द्वारा अभियुक्तगण से दिनांक 23.01.2017 को राजीनामा कर लिये जाने से आहत रामवरन के संबंध में धारा 323, 325, 325/34 के अधीन आरोप का शमन किया गया। इस निर्णय द्वारा फरियादी विद्याराम के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 01.08.16 को सुबह करीब 07:00 बजे फरियादी विद्याराम ग्राम नेपाल सिंह के चक पर दूध दुहाई करने गया था। गांव से दूध दुहाई कर अभियुक्तगण को एक महीने से उधार दिये दूध का हिसाब मांगा तो वे गाली-गलौच करने लगे और फरियादी को पटक लिया व लात घूसें मारे, बचाने रामवरन तोमर आया तो उसे रामू तोमर ने दंडा मारे जो गाल व नाक में लगे। संदीप तोमर ने पटककर लातें मारी। उक्त आशय की सूचना से अदम

चैक रिपोर्ट 56/16 पर लेख की गई। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने पर अस्थिभंग पाये जाने से अपराध क्र0 213/16 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधार नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक एवं जल्दी पत्रक बनाये गये। वाद अनुसंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दिनांक 01.08.2016 को सुबह करीब 07:00 बजे फरियादी विद्याराम को शरीर पर कोई चोटें मौजूद थी, यदि हां तो उनकी प्रकृति ?
2. क्या उक्त दिनांक, समय एवं स्थान नेपाल सिंह का चक् में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से फरियादी को मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को इस आशय से या जानते हुए गालियाँ दी जिससे वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करे या अन्य कोई अपराध कारित करे ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में विद्याराम अ0सा0 1, रामवरन अ0सा0 2, विशम्भर सिंह चौहान अ0सा0 3, लक्ष्मण अ0सा0 4 एवं डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्तगण की ओर से लटूरी सिंह तोमर ब0सा0 1 को बचाव में पेश किया गया है।

#### // विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 का सकारण निष्कर्ष //

7. फरियादी विद्याराम अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना 2-3 महीने पहले सुबह 8 बजे की है। वे दूध का काम करते हैं और दूध लेने के लिए नेपालसिंह का चक् जाते हैं। अभियुक्त रामू उर्फ रामसिंह ने उससे कहा था कि उसे दूध दे दिया करे और महीने पर पैसे दे देगा। घटना दिनांक को जब दो महीने के दूध का पैसा मांगा तो अभियुक्त ने कहाकि अगले महीने दे देंगे, दूध के अलावा दो किलो घी भी लिया था। घटना के एक दिन पहले अभियुक्त रामूसिंह से पैसे मांगे तो उसने गाली गलौंच की थी और वह सुनकर वापस आ गया। इसके बाद उसने अभियुक्त के भाई वगैरह से पैसे के बारे में कहा। दूसरे दिन जब नेपालसिंह के चक् गया तो अभियुक्तगण ने कहाकि इस चक् पर आओगे तो हमें दूध देना पड़ेगा। इसके बाद मारपीट किए जाने का कथन करता है। अपने मुख्य परीक्षण में कहीं भी ऐसा कथन नहीं करता कि उसे अभियुक्तगण ने

कौन से अश्लील शब्द देकर साशय या जानते हुए अपमानित किया ताकि फरियादी प्रकोपनवश लोक शांति को भंग करे अथवा अन्य कोई अपराध कारित करे।

8. रामवरन अ0सा0 2 यह बताते हैं कि घटना सावन के महीने की है। उसके भतीजे संदीप का विद्याराम से किसी बात पर झगडा हो रहा था। उसने रोका और चांटा मारा इसी बात पर भाई रामसिंह ने उसकी मारपीट कर दी। इसके अलावा और कोई घटना कारित न होने का कथन करते हैं। यह साक्षी भी कोई अश्लील शब्द या गालियों के उच्चारण के संबंध में कथन नहीं करते। विशंभर सिंह चौहान अ0सा0 3 पक्षविरोधी हो गया है और मामले का कोई समर्थन नहीं करता है। अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। प्रकरण में संहिता की धारा 504 के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं हैं जिसके आधार पर फरियादी को घटना दिनांक 01.08.16 को अपमानित करने के आशय या जानते हुए गाली गलौच कर प्रकोपित किया गया हो अथवा लोकशांति भंग करने हेतु उत्प्रेरित किया गया हो। अतः संहिता की धारा 504 का आरोप अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

#### //विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का सकारण निष्कर्ष//

9. प्रकरण में फरियादी विद्याराम अ0सा0 1 यह कथन करता है कि घटना दिनांक से एक दिन पहले उसने अभियुक्त रामू से पैसे मांगे तो उसने गाली गलौच की जिसे सुनकर वह वापस आ गया और इसके बाद उसने अभियुक्त के भाई वगैरह से पैसे के बारे में कहा। दूसरे दिन जब ग्राम नेपालसिंह के चक गया तो अभियुक्तगण ने कहा कि इस चक पर आओगे तो उन्हें दूध देना पड़ेगा फिर अभियुक्तगण द्वारा लातघूसों से मारपीट शुरू कर देने का कथन करते हैं। यह भी कथन करते हैं कि वह भाग कर गया तो रामवरन तोमर ने बीच बचाव किया तो अभियुक्तगण बोले कि कौन बचाने आता है उसको देख लेंगे। जब रामवरन ने कहा कि मैं बचाऊंगा तो उसकी भी मारपीट कर दी जिससे उसका दांत टूट गया, पसली में चोट आई और सिर में चोट आई। स्वयं फरियादी उसे मुदी चोट आना बताता है। घटना के संबंध में थाना गोहद चौराहा में प्र0पी0 1 की अदम चैक रिपोर्ट लिखाए जाने, उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करता है। आहत उसकी तथा रामवरन की डाक्टरी गोहद अस्पताल में होना बताता है।

10. प्रकरण में आहत रामवरन के द्वारा राजीनामा कर लिए जाने से उसके चोटों के संबंध में विवेचन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जहां तक फरियादी की चोटों का प्रश्न है तो उसने उसे मुदी चोटें आने का कथन किया है। रामवरन अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी विद्याराम से अभियुक्त संदीप का झगडा होना बताता है जिसमें उसके भाई अभियुक्त रामसिंह द्वारा उसकी मारपीट करने का कथन किया है। फरियादी विद्याराम की मारपीट के संबंध में कथन नहीं करता है। विशंभर अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं करते न ही पुलिस कथन का समर्थन करते हैं। आहत के चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 5 कथन

करते हैं कि दिनांक 01.08.16 को वे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आहत विद्याराम के चिकित्सीय परीक्षण करने पर आहत को एक नीलगू निशान दाहिने स्केपुला एरिया में आकार 3 गुणा 2 सेमी0 का पाए जाने का कथन करते हैं। आहत की चोट परीक्षण से 0 से 6 घण्टे के भीतर की आने एवं सख्त व भौथरी वस्तु से कारित होने की सुसंगत राय देकर चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रपी0 7 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। चिकित्सीय रिपोर्ट प्रपी0 7 पर परीक्षण का समय प्रातः 9:55 बजे का लेख है। अदम चैक प्रपी0 1 में घटना का समय सुबह 7 बजे का लेख है जिसकी सूचना 9:30 बजे लेख किया जाना दर्शाया गया है। इस प्रकार से चिकित्सक द्वारा फरियादी विद्याराम को कारित चोट की अवधि के संबंध में सुसंगत राय फरियादी के कथन एवं अदम चैक प्रपी0 1 से समर्थित है। प्रपी0 7 की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर उक्त अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन चिकित्सक द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से अविश्वास का कोई आधार न होने पर सुसंगत व प्रमाणित है।

11. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से चिकित्सक को सुझाव दिया गया कि आहत को आई चोट मोटरसाईकिल पर दूध की कैन रखकर जाते समय संतुलन बिगड़कर पथरीली सतह पर गिरने से आना संभव है। बचाव साक्षी के रूप में लटूरीसिंह ब0सा0 1 का कथन कराया गया जो घटना दिनांक को फरियादी के मोटरसाईकिल पर दूध की टंकिया लेकर जाते समय गिर जाने से मुंह में चोट आने का कथन करते हैं। फरियादी विद्याराम अ0सा0 1 को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में सुझाव दिया गया कि उसकी पीठ में दूध की टंकी की रगड़ से चोट आई थी। इस प्रकार से अभियुक्त की ओर से घटना दिनांक व सुसंगत समय पर फरियादी को चोट मौजूद होने के संबंध में तथ्य दर्शित किए गए हैं। इस प्रकार से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 01.08.16 को फरियादी विद्याराम के शरीर पर एक नीलगू चोट मौजूद थी। अब यह विवेचित किया जाना है कि क्या फरियादी विद्याराम को आई चोट अभियुक्तगण या उनमें से किसी के द्वारा उपहति कारित करने के आशय से स्वेच्छा कारित की गयी ?

### // विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का सकारण निष्कर्ष //

12. फरियादी विद्याराम अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट कथन करता है कि एक दिन पहले जब उसने अभियुक्त रामू से दूध व घी के पैसे मांगे तो अभियुक्त ने गाली गलौच की इसके बाद उसने अभियुक्त के भाई वगैरह से पैसे के बारे में कहा। दूसरे दिन जब नेपालसिंह के चक गया तो अभियुक्तगण बोले कि इस चक पर आओगे तो हमें दूध देना पड़ेगा। इसके बाद अभियुक्तगण द्वारा लात घूंसें से मारना शुरू कर दिया, तब वह भाग कर गया तो रामवरन ने बीच बचाव किया। इस प्रकार से यह साक्षी अभियुक्तगण के द्वारा दूध के पैसे मांगने पर मारपीट करने का स्वेच्छक कृत्य



का कथन करता है। रामवरन अ0सा0 2 घटना दिनांक को फरियादी एवं अभियुक्त संदीप के मध्य किसी बात को लेकर झगड़े का कथन करते हैं और स्वयं संदीप को रोकने और चांटा मारने का कथन करते हैं। साक्षी द्वारा घटनास्थल पर फरियादी व अभियुक्त संदीप के मध्य वाद विवाद होने का तथ्य प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रहा है। जहां तक पक्षविरोधी साक्षी की अभिसाक्ष्य का प्रश्न है तो यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्षविरोधी हो जाने से किसी साक्षी की संपूर्ण अभिसाक्ष्य समाप्त नहीं हो जाती है, जितनी अभिसाक्ष्य मामले में विश्वसनीय हो उसे स्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरुद्ध म0प्र0 राज्य ए0आई0आर0-1991 एस0सी0-1853 में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत अवलोकनीय हैं।

13. बचाव में प्रस्तुत साक्षी लटूरीसिंह ब0सा0 1 यह कथन करते हैं कि 01.08.2016 को 9:30 बजे रामवरन और अभियुक्त रामचन्द का आपस में झगडा हो गया था और आपस में मुंहवाद और तूतू मैंमें होकर बंद हो गया था, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फरियादी विद्याराम उनके गांव का दूधिया है जिससे अभियुक्त रामचंद का कोई झगडा नहीं हुआ था। विद्याराम घटना दिनांक को मोटरसाईकिल लेकर चला था जिस पर दूध की टंकियां थी और गिर गया जिसे साक्षी द्वारा उठाया गया, उसके मुंह में चोट आ गयी। इस प्रकार से अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फरियादी विद्याराम को आई चोट दुर्घटना में कारित हुई थी। प्रकरण में अभिकथित बचाव साक्षी लटूरीसिंह ब0सा0 1 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में जो कथन किया गया है, उस संबंध में प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि उसने न्यायालय में उक्त बात पहली बात बताई है उससे पहले किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को नहीं बताई। उक्त साक्षी को अभियुक्तगण की ओर से स्वयं प्रस्तुत किया गया। उसके द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी को गिरने से मुंह में चोट आने का कथन किया गया है, जबकि मुंह में चोट आने के संबंध में अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य नहीं है। चिकित्सक डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 5 भी फरियादी को उसके दाहिने स्कैपुला एरिया में नीलगू चोट के निशान का कथन करता है। इस प्रकार से बचाव साक्षी की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

14. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से रंजिशन झूठा फंसाए जाने का बचाव लिया है। किन्तु संपूर्ण फरियादी के अभिसाक्ष्य में अभिकथित रंजिशन किस बात की थी, इस संबंध में कोई सुझाव तक नहीं दिया गया है। आरोपीगण से गलत रूपसे बसूलने के लिए रिपोर्ट किए जाने के सुझाव से इंकार किया है। यदि ऐसी कोई गलत मांग फरियादी द्वारा की गयी होती तो अभियुक्तगण द्वारा सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष कोई शिकायत या प्रकरण प्रस्तुत किया होता, ऐसा भी अभिलेख पर नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण द्वारा लिया गया रंजिशन का बचाव काल्पनिक पाया जाता है।

15. अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फरियादी के अतिरिक्त किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा उसकी मारपीट के तथ्य के संबंध में समर्थन नहीं किया गया है ऐसी दशा में फरियादी की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। यद्यपि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फरियादी को अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित किए जाने के संबंध में अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, किन्तु फरियादी के अभियुक्तगण के विरुद्ध कथन किए जाने के संबंध में कोई सुदृढ़ बचाव भी प्रस्तुत नहीं हैं। साथ ही स्वीकृत रूप से फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य घटना दिनांक को मुंहवाद होना अभिलेख पर है। जहां तक आहत रामवरन के साक्ष्य का प्रश्न है तो रामवरन द्वारा अपने भाई अभियुक्त रामसिंह व भतीजे संदीप से राजीनामा कर लिया गया है ऐसी दशा में राजीनामा उपरांत साक्षी द्वारा फरियादी को उपहति कारित करने के तथ्य के संबंध में समर्थन न किया जाना अभियोजन के मामले को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है। आहत साक्षी की अभिसाक्ष्य दाण्डिक विधि में अधिक महत्व रखती है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259** की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि -

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

इसके अतिरिक्त मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में न्यायदृष्टांत **Bhajan Singh alias Harbhajan Singh and Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552 : (2011)7 SCC 421** भी उल्लेखनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 21 में आहत साक्षी के संबंध में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया-

“21. The evidence of the stamped witness must be given due weightage as his presence on the place of occurrence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present at the time of occurrence. Thus, the testimony of an injured witness is accorded a special status in law. Such a witness comes with a built-in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare his actual assailant(s) in order to falsely implicate someone. "Convincing evidence is required to discredit an injured witness". Thus, the evidence of an injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein. (Vide: Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259 : (AIR 2011 SC (Cri) 964 : 2010 AIR

SCW 5701); Kailas and Ors. v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 793 : (AIR 2011 SC 598); Durbal v. State of Uttar Pradesh, (2011) 2 SCC 676 : (AIR 2011 SC 795 : 2011 AIR SCW 856); and State of U.P. v. Naresh and Ors., (2011) 4 SCC 324 : (AIR 2011 SC (Cri) 761 : 2011 AIR SCW 1877)). **Resently Followed in :- Narender Singh and others v. State of Madhya Pradesh 2015(11) SCALE 557 : JT 2015 (9) SC 435”**

16. जहां तक फरियादी एवं आहत के कथन में विरोधाभास का तर्क प्रस्तुत किया है तो उसके कथन में कथित विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के हैं। न्यायदृष्टांत योगेशसिंह विरूद्ध महावीरसिंह व अन्य एआईआर 2016 एस0सी0-5160 : जे0टी0 2016 (10) एस0सी0 332 : 2016 (4) सीसीएससी 1876 की कण्डिका 29 में मान0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि “विधि में सुस्थापित है कि कुछ असंगतताओं को महत्व प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और साक्ष्य पर विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या वह न्यायालय के मस्तिष्क में विश्वास उत्पन्न करता है। यदि साक्ष्य असाधारण है और प्रज्ञा के परीक्षण के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह अभियोजन कथन में कमी सृजित कर सकता है। यदि कोई लोप या असंगतता मामले की तह तक जाती है और विषमताओं को प्रविष्ट करती है, तो प्रतिरक्षा ऐसी असंगतियों का लाभ ग्रहण कर सकता है। यह अभिकथित करने के लिए किसी विशेष प्रबलता की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक लोप तात्विक लोप का स्थान नहीं ले सकता इसलिए कुछ असंगतियां, विषमताएं या महत्वहीन अलंकरण अभियोजन के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते और अभियोजन साक्ष्य को नामंजूर करने के लिए आधार रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। लोप को साक्षी की विश्वसनीयता या विश्वास योग्यता के बारे में गंभीर संदेह सृजित करना चाहिए। केवल गंभीर पारस्परिक विरोध और लोप ही, तात्विक रूप से अभियोजन के मामले को प्रभावित करते हैं किन्तु प्रत्येक परस्पर विरोध या लोप नहीं।” इस मामले में फरियादी विद्याराम अ0सा0 1 की साक्ष्य पर न्यायालय के समक्ष अविश्वास हेतु युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं हैं।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 01.08.16 को करीब 07:00 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा पर स्थित नेपालसिंह का चक् नामक स्थान पर आहत विद्याराम को उपहति कारित करने के आशय से उसकी लात-घूसों व दण्डों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 323 के अधीन **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्तगण को संहिता की धारा 504 के आरोप प्रमाणित न पाए जाने से उक्त आरोप के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

18. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।

19. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उनकी परिपक्व आयु को देखते हुए उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड



के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

#### पुनश्च:

20. अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के ग्रामीण परिवेश के होकर पिता पुत्र हैं। रामसिंह वृद्ध है तथा संदीप नवयुवक है। अतः इस आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

21. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्तगण पिता पुत्र हैं। फरियादी से विवाद का कारण साधारण है एवं उसे कारित एक चोट भी साधारण प्रकृति की है। ऐसे में कठोरतम दण्ड से दण्डित करने की दशा में उनके मध्य भविष्य में संबंधों की मधुरता की संभावना समाप्त हो जावेगी। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 323 के अधीन 1000-1000 रुपये अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्धदण्ड के संदाय में व्यक्तिकम की दशा में अभियुक्तगण को एक-एक माह का कारावास भुगताया जावे।

22. अभियुक्तगण से अर्धदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत विद्याराम पुत्र रामजीलाल दर्जी निवासी ग्राम पिपाहडी जिला भिण्ड को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दफ़्त की धारा 357-1 ख के अधीन 800 रुपये (आठ सौ रुपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

23. प्रकरण में जब्त शुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे, अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

24. निर्णय की एक-एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।

25. अभियुक्तगण की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश